JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004 Phone :- 0651-2400852,2400851 Fax :- 0651-2400850

पत्रांक प्रेषक			दिनांक :
	एस के सुमन सदस्य सचिव ।		
सेवा में	The property of the second		
	निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग,		
	झारखण्ड सरकार , रॉची ।		

विषयः औद्योगिक इकाइयों द्वारा Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 के तहत आवेदन करने से संबंधित सूचना प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्यक्त विषय के प्रसंग में औद्योगिक इकाइयों द्वारा Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 के तहत On-line आवेदन करने से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार पत्रों में जो पूरे राज्य में पढ़ा जा सके,

गय तिथि के अनुसार डा०ए०मा०पा० दर पर प्रकाशन कराया जाय ।						
1. प्रभात खबर, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016				
2. हिन्दुस्तान, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016				
3. दैनिक जागरण, झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016				
4. दैनिक भास्कर झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016				
5. Times of India , झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016				
6. Hindustan Times, झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016				
7. The Pioneer, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016				
8. The Telegraph, झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016				
() () ()		40				

कृपया दर्शाये गये तिथि को maximum visible & legible size में उपरोक्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

₹0/-

(एस के सुमन)

सदस्य सचिव

रॉची / दिनांक ..!

япчіф b — 389 б प्रतिलिपि- लेखाशाखा, मुख्यालय राँची / वेवसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्र्वाई हेतु

सदस्य सचिव



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651— 2400850

Notification No. B-10

Ranchi, Dated-09.09.2016

NOTIFICATION

Consequent upon the issuance of Notification of New Rules for Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, dated 04.04.2016 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, all the concerned are requested to submit application for authorization as per the New Rules, 2016 through on-line website-"jhkocmms.nic.in".

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

My

झारखण्ड

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI-834004

Phone: - 0651-2400852,2400851 Fax: - 0651-2400850

JSP@B	Priorie :- 0051-2400852,24008	551 Fax :- 0651-2400650				
पत्रांक		दिनांक	5 ;			
प्रेषक						
	एस के सुमन					
	सदस्य सचिव ।					
सेवा में						
	निदेशक					
	सूचना एवं जन संपर्क विभाग,					
	झारखण्ड सरकार , रॉची ।					
विषयः	औद्योगिक इकाइयों द्वारा Bio Medical \	Waste Management Rule	es, 2016 के तहत			
	आवेदन करने से संबंधित सूचना प्रकाशन के	संबंध में।				
महाशय	I,					
	उपर्युक्त विषय के प्रसंग में औद्योगिक इकाइय	ों द्वारा Bio Medical Waste Ma	nagement Rules,			
2016 के तहत On-line आवेदन करने से संबंधित संलग्न सूचना को निम्नलिखित स्थानीय समाचार						
पत्रों में	जो पूरे राज्य में पढ़ा जा सके, दर्शाये गये ।	तिथि के अनुसार डी०ए०भी०पी०	दर पर प्रकाशन			
कराया	जाय ।					
	1. प्रभात खबर, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016			
	2. हिन्दुस्तान, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016			
	3. दैनिक जागरण, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016			
	4. दैनिक भास्कर झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016			
	5. Times of India , झारखण्ड संस्करण	– एक दिन प्रकाशन तिथि	15.09.2016			
	6. Hindustan Times, झारखण्ड संस्करण	 एक दिन प्रकाशन तिथि 	15.09.2016			
	7. The Pioneer, झारखण्ड संस्करण		15.09.2016			
	8. The Telegraph, झारखण्ड संस्करण		15.09.2016			
कृपया दर्शाये गये तिथि को maximum visible & legible size में उपरोक्त दैनिक समाचार						
पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।						
		विश्वासभा	जन,			
		₹0/-				
		(एस के	0			
	6-3897	सदस्य र रॉची/ दिनांक	मचिव । ११ । (
	3-3897	रॉची / दिनांक				
प्रतिलिपि— लेखाशाखा, मुख्यालय राँची / वेवसाईट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्र्वाई हेतु प्रेष्ट्रित 🖣						

(एस के सुमन) सदस्य सचिव

the



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एचं०ई०सी०, धुर्वा, राँची दूरभाष : 2400852, 2400851, फैक्स : 0651— 2400850

Notification No. B-11

Ranchi, Dated-09.09.2016

NOTIFICATION

Consequent upon the issuance of Notification of New Rules, Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 dated 28th March, 2016 by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, decision has been taken to grant provisional authorization for 06 months to all such application of HCFs whose applications have been received on-line in "jhkocmms.nic.in" based on previous Rules i.e, Bio-Medical Waste (Management & Handling) Rules, 1998.

Now new Rules for **Bio-Medical Waste Management Rules**, **2016** have been notified, all HCFs are requested to submit application for authorization as per the new Rules of 2016 along with the application for Consent to Operate.

All concerns are also instructed to treat and dispose their Bio-Medical Waste as per Schedules I of the Rules and comply the standard conditions as per Schedule II of the Rules. All HCFs and Common Bio-Medical Waste Facility Operator shall submit annual report to the prescribed authority (JSPCB) in Form — IV by year 30th June of every year and shall keep record of Generation, Collection, Reception, Storage, Treatment, Transportation and Disposal of the Bio-Medical Waste and shall show this record to the prescribed authority or Ministry of Environment, Forest and Climate Change at any time for inspection and verification. All HCFs have to submit application for authorization irrespective of quantity of Bio-Medical Waste.

(Sanjay Kumar Suman) Member Secretary

3: